न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 169/2017

1. कुलवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सुखवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी सुखवन्त सिनेमा रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. सरजीत सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. अमनदीप कौर {पुत्री श्री सरजीत सिंह} पत्नी श्री हरनेक सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी बस स्टैण्ड के पास, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोषी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.09.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 12/1(0.203 हैक्टर) कुल 2.480 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है ।

उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी जगरूप सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरास्त में वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई। वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादाजी जगरूप सिंह से प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 10 एफ बड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज विरास्तन कृषि भूमि चक 10 एफ बड़ा का निम्न प्रकार घरेलू विभाजन किया :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
कुलवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8/.253, 9/.253, 10/.253, 12/1 का 0.203 कुल 0.962 हैक्टर नहरी कृषि भूमि

लगातार 2

सुखवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी सुखवन्त सिनेमा रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2/.253, 3/.253, 4/.253, 7/.253 कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि
सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1/.253, 11/.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकियां देता रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 15.08.2017 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है। यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण की बहन/प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री होने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 में प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह के नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 39 की 2.480 हैक्टर कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित अनुसार विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8/.253, 9/.253, 10/.253, 12/1 का 0.203 कुल 0.962 हैक्टर नहरी कृषि भूमि घोषित की जावे एवं वादी संख्या 2 सुखवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2/.253, 3/.253, 4/.253, 7/.253 कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि घोषित की जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे ।

अधिकारी (राजस्व)

लगातार 3

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोंक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक दिनांक 07.09.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि का निम्न प्रकार बंटवारा किया है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
कुलवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 8/.253, 9/.253, 10/.253, 12/1 का .203 कुल 0.962 हैक्टर नहरी कृषि भूमि
सुखवन्त सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी सुखवन्त सिनेमा रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 2/.253, 3/.253, 4/.253, 7/.253 कुल 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि
सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 10 एफ बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1/.253, 11/.253 कुल 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि

राजीनामा अनुसार डिक्री जारी कर दी जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान तउसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर. 1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा

लगातार 4

(राजस्व)

सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09. 1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच. सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि

चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 12/1(0.203 हैक्टर) कुल 2.480 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है जो पैतृक सम्पत्ति है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के वाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत चक 10 एफ बड़ा पटवार हल्का मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 50/45 के मुरब्बा नम्बर 39 की किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 (प्रत्येक में 0.253 हैक्टर), 12/1 का .203 हैक्टर कुल 2.480 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के पिताजी प्रतिवादी संख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज में से राजीनामा अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी संख्या 1 कुलवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) को 0.962 हैक्टर तथा सुखवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी सुखवन्त सिनेमा रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.) को 1.012 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

लगातार 5

1. वादी सख्या 1 कुलवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	50/45	39	8/.253, 9/.253, 10/.126, 12/1 का .203	0.962 हैक्टर

2. वादी सख्या 2 सुखवन्त सिंह पुत्र श्री सरजीत सिंह जाति रामगढ़िया सिख (तरखान) निवासी सुखवन्त सिनेमा रोड़, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	50/45	39	2/.253, 3/.253, 4/.253, 7/.253,	1.012 हैक्टर

3. प्रतिवादी सख्या 1 सरजीत सिंह पुत्र श्री जगरूप सिंह जाति रामगढ़िया सिख निवासी चक 10 एफ बड़ा ग्राम पंचायत व पोस्ट मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
10 एफ बड़ा	50/45	39	1/.253, 11/.253	0.506 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 12.09.2017 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर